<u>अति महत्वपूर्ण / मानव सम्पदा पोर्टल</u>

<u>संख्या- 5/2026/80/सैतालीस-का-5-2026-(1838120)</u>

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2026

विषयः- कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों में त्वरित एवं पारदर्शी रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु मानव सम्पदा पोर्टल क्रियाशील है। पोर्टल के सफलतापूर्वक संचालन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर विभागान्तर्गत कार्यालयों / स्वायतशासी संस्थाओं / निगमों के समस्त नियमित कार्मिकों का पंजीकरण होना आवश्यक है तथा इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश भी दिये गये है कि विभागीय प्रमुखों द्वारा समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि विभागान्तर्गत कार्यालयों / स्वायतशासी संस्थाओं / निगमों में कार्यरत समस्त नियमित कार्मिकों का पंजीकरण पोर्टल पर हो तथा पोर्टल के विभिन्न माड्यूल का उपयोग विभाग एवं कार्मिकों द्वारा किया जाए।

2- उक्त के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न अर्द्धशासकीय पत्रों क्रमशः दिनांक 09.12.2025, 22.12.2025 एवं 30.12.2025 के माध्यम से भी विभिन्न विभागान्तर्गत कार्मिकों के अवकाश संबंधी आवेदनों का समयान्तर्गत निस्तारण करने तथा विभाग में कार्यरत समस्त पंजीकृत कार्मिकों के अवकाश संबंधी आवेदनों को पोर्टल के ही माध्यम से स्वीकृत / निस्तारित कराने का अनुरोध किया गया है। पोर्टल पर शतप्रतिशत कार्मिकों का पंजीकरण एवं पंजीकृत कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति पोर्टल के ही माध्यम से सुनिश्चित करना विभागों का दायित्व है, परन्तु पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि कार्मिक विभाग के उपरोक्त निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उक्त का अनुपालन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 11.02.2026 द्वारा समस्त विभागों को अपने विभागान्तर्गत कार्मिकों का शतप्रतिशत पंजीकरण एवं पंजीकृत कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है। किन्तु संज्ञानित हुआ है कि कार्मिकों के अवकाश से संबंधित विवरण पोर्टल पर पूर्ण नहीं है और आधे-अधूरे ही अंकित किये गये है।

3- अतएव उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभागान्तर्गत कार्मिकों का उनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर समस्त प्रकार के अवकाशों से संबंधित त्रुटिरहित, अद्यतन विवरण आहरण वितरण अधिकारी (DDO) के द्वारा दिनांक 25.03.2026 तक अंकन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एस०पी० गोयल

मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.on

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष कार्याधिकारी, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीलस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रभारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि ई-ऑफिस डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहें।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ।
13. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के संबंध में नियम संगत अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

एम० देवराज

प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.on

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।